तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारि अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हुए
10-6-16	पत्रावली "न्याय आपके द्वार" शिविर राजोर में प्रस्तुत हुई। वादीगण अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगणों में ग्राम पंचायत ने पूर्व में ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रखा है एवं तहसीलदार लैण्ड होल्डर ने आज जवाब प्रस्तुत किया। मजमे आम में जाँच की गयी। तथ्य निम्न प्रकार सामने आये। ना.नंबर 281 फैसला दि. 25.3.89 जोकि जगन पुत्र मोती हि. 1/2 की विरासत जगदीश, राजेन्द्र, रमेश, मदनमोहन, दिनेश पि. जगन एवं बैकुन्ठी बेवा जगन के नाम दर्ज की गयी है जो गलत है। सही यह है कि जगन पुत्र मोती के 2 पुत्र भोरूलाल एवं बाबूलाल थे। भोरूलाल की मृत्यु जगन से पूर्व होना जाहिर हुआ है। वादीगणों के पिता का नाम भोरूलाल था किन्तु वादीगणों की वल्दियत में पिता भोरूलाल के स्थान पर बाबा जगन का नाम गलत अंकित कर दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। एवं ना.नंबर 281 दि. 25.3.89 खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार करौली को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि मृतक जगन के वारिसान की जाँच कर एक माह में निर्णय पारित करें। पालना हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार करौली को भा. भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी करौली	जारी 1944 20.6.16